समाहरणालय, बक्सर
(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(o) मो0–8544426112
ई–मेल – dm.buxar.bih@nic.in ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

श्री अमन समीर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 04.01.2021 को आयोजित खरीफ विपणन मौसम 2020–21 अन्तर्गत् धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज दिनांक 04.01.2020 को खरीफ विपणन मौसम 2020–21 हेतु धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गयी। धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में धान अधिप्राप्ति मौसम 2020–21 के सफल कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं निम्नाकिंत निर्णय लिये गये :–

1. धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर के अनुपस्थिति में प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी मुख्यालय बैठक में उपस्थिति हुए उनके द्वारा कोई स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। **इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बैठक में स्वयं भाग लेना सुनिश्चित करेंगे या किसी अन्य पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्थान पर प्राधिकृत कर सम्पूर्ण प्रतिवेदन के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रखण्डवार पैक्स/व्यापार मंडलों को दिये गये लक्ष्य के विरूद्ध अधिप्राप्ति कम करने वाले प्रखण्ड के प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी से कारण पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।** विभाग द्वारा बक्सर जिले को कुल 150000 एम0टी0 2020–21 का लक्ष्य दिया गया है, जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 04.01.2021 तक 2042 किसानों से 19294.467 MT धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि धान अधिप्राप्ति तीव्र गति से करवाना सुनिश्चित करें, साथ ही सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि संबंधित पैक्स/व्यापार मंडलों की नियमित जाँच कर किसानों से अधिक से अधिक धान अधिप्राप्ति पैक्स/व्यापार मंडल से कराते हुए जिला के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रतिदिन कम से कम 1000 (एक हजार) एम0टी0 धान अधिप्राप्ति कराना सुनिश्चित करें, ताकि विभाग द्वारा दिये गये अधिप्राप्ति लक्ष्य को ससमय पूरा किया जा सके। जिस प्रखण्ड में लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति नहीं हो रहा है, उस प्रखण्ड के प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी से कारण पृच्छा करें एवं अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। परन्तु पूर्व बैठक में दिये गये निदेशो का कोई भी अनुपालन प्रतिवेदन आपके द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित नहीं किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा धान अधिप्राप्ति जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यो में रूची नहीं ली जा रही है। इस संबंध में सभी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अपना स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया है कि जिले में प्रति एकड़ कितने क्वीं0 धान की उपज हुआ है, से संबंधित प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का हेतु दिनांक 30.12.2020 के बैठक में निदेशित किया गया है जो अबतक अप्राप्त है। जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि 24 घंटा के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी)।

2. क्रियाशील/अक्रियाशील, पैक्स/व्यापार मंडल की समीक्षा :– जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 111 पैक्स तथा 06 व्यापार मंडल ही क्रियाशील है। शेष 31 पैक्स एवं 02 व्यापार मंडल के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 09 पैक्स डिफॉल्टर है, 08 पैक्सों का अंकेक्षण नहीं हुआ है, 03 पैक्सों में कार्यकारी अध्यक्ष है, 01 पैक्स के मामले में (भोजपुर जदीद पैक्स) के अध्यक्ष की मृत्यु हो गई है, 03 पैक्सों में उत्पादन शून्य है, 03

पैक्सों में कार्यकारणी का विवाद है तथा 02 पैक्स अवक्रमित है एवं 02 पैक्स में प्रशासक नियुक्त रहने के कारण बी0सी0ओ0 की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए उसे दूसरे पैक्स से संबद्ध कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा इस संबंध में निम्न निदेश दिये गये :–

(क) सहकारिता विभाग बिहार पटना के पत्रांक 6198/दिनांक 14.12.2020 के आलोक में वैसे व्यतिक्रर्मी समितियॉ जहॉ ऋण नहीं लौटाने वाले प्रबंधकारिणी निर्वाचन के पश्चात् बदल चुकी है और नयी प्रबंधकारिणी कार्यरत है। ऐसी समितियों में भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के दिशानिर्देश के आलोक में बैंक का निदेशक मंडल तत्कालिक स्थिति को दखते हुए एवं समुचित Safeguard रखते हुए व्यतिक्रर्मी पैक्स को पुनः धान अधिप्राप्ति हेतु कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराया जाय।

(ख) वैसे व्यतिक्रमी समितियॉ जहॉ ऋण नहीं लौटाने वाली प्रबंधकारिणी ही कार्यरत है और किसी गबन आदि का दृष्टांत नहीं हो, बैंक प्रबंधक द्वारा ऋण बसूली हेतु सार्थक प्रयास करते हुए नये ऋण की समुचित Safeguard रखते हुए ऐसी समितियों को अधिप्राप्ति कार्य से जोड़ने हेतु कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराया जाय। साथ ही वैसे ऋण व्यतक्रमी पैक्स जिसमें प्रबंध कार्यकारिणी पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है, उसके संबंध में अद्योहस्ताक्षरी एवं पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर ऋण वसूली हेतु सार्थक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(ग) जिन पैक्सों/व्यापार मंडलों में अद्यतन अंकेक्षण नहीं हुआ है वैसे पैक्स को विभागीय प्रावधान के आलोक में अद्यतन अंकेक्षण कराते हुए उन्हे क्रियाशील कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। वैसे पैक्स जहॉ कार्यकारी अध्यक्ष कार्यरत है उन पैक्सों को भी विभागीय प्रावधानों के आलोक में क्रियाशील कर धान अधिप्राप्ति कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में आवश्यक नोटिस निर्गत करते हुए ससमय अधिप्राप्ति कार्य कराने का निदेश दिया गया। जिन पैक्स के अध्यक्ष की मृत्यु हो गई है, या वैसे पैक्स जो अवक्रमित हैं वहॉ प्रशासक के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय पंचायत में उत्पादन शून्य अंकित करते हुए क्रियाशील नहीं किया गया है परन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार वैसे पंचायतों में भी कुछ न कुछ धान की उपज हुई है। वैसे पैक्सों को क्रियाशील करने या नजदीक के पैक्स/व्यापार मंडलों के साथ संबद्ध करने का निदेश दिया गया।

(घ) जिन पैक्सों में प्रबंध समिति का विवाद है उन पैक्सों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए उन्हें नोटिस निर्गत कर क्रियाशील कराने या विभागीय प्रावधान के आलोक में उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रशासक के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था परन्तु आपके द्वारा अबतक अनुपालन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को अप्राप्त है। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनु0 :– जिला सहकारिता पदाधिकारी)

3. <u>**पैक्स संबद्धता से संबंधित समीक्षा**</u> :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 1087/दिनांक 23.12.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि समहुता पैक्स प्रखण्ड राजपुर को मटकीपुर पैक्स से संबद्ध किया गया था। मटकी पुर पैक्स अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दो पैक्सों का धान अधिप्राप्ति करने में कठिनाई होगी एवं समहुता पैक्स के किसानों द्वारा अनुरोध किया गया है कि समहुता पैक्स को दुल्फा पैक्स से संबद्ध किया जाय, से संबंधित प्रतिवेदन जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्राप्त कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में समहुता पैक्स को मटकी पुर के स्थान पर दुल्फा पैक्स के साथ संबद्ध करने हेतु टास्क फोर्स की बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

(अनु0 :– जिला सहकारिता पदाधिकारी)

4. <u>**किसानों के भुगतान से संबंधित समीक्षा**</u> :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि 2042 किसानों से धान अधिप्राप्ति की गई जिसमें 1123 किसानों को कुल राशि 20,51,43,274.20 रू0 का भुगतान किया गया शेष 919 किसानों का एडवाईस जेनरेट कर दिया गया है। इस संबंध में प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि पैक्स अध्यक्ष एवं बैंको से समन्वय स्थापित कर प्रतिदिन किसानों की भुगतान की समीक्षा कर यह सुनिश्चित कराये कि किसानों का भुगतान 48 घंटे के अंदर निश्चित रूप से किया जाय।

(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी)।

5. **किसानों का ऑनलाईन निबंधन** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2020–21 अन्तर्गत प्रतिवेदित तिथि तक 8575 किसानों का ऑन लाईन निबंधन किया गया है, जिसके विरूद्ध 7934 किसानों का अधिप्राप्ति हेतु सत्यापन कर लिया गया है। इस पर कुल निबंधित किसानों एवं स्वीकृत किसानों की संख्या में अन्तर होने तथा कुल अधिप्राप्ति करने वाले किसानों की संख्या मात्र 2042 होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक किसानों से धान अधिप्राप्ति करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 4814/दिनांक 19.12.2020 द्वारा निदेशित किया गया है कि किसानों के निबंधन का सत्यापन प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी अथवा कृषि विभाग के अन्य संबंधित स्थानीय पदाधिकारी/कर्मी प्रतिदिन समन्वय स्थापित करते हुए सत्यापन एवं अनुमोदन का कार्य पूर्ण करेंगे। आवश्यकतानुसार की जाने वाली जाँच भी प्रखण्ड सहकारिता एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा 24 घंटे में पूरी की जायेगी, ताकि अनुमोदन की प्रक्रिया अवरूद्ध ना हो और चयन में किसी प्रकार की अनियमितता ना हों साथ ही धान अधिप्राप्ति कार्य निर्वाध रूप से सम्पन्न हो सके।

(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला कृषि पदाधिकारी)।

6. **पैक्स/व्यापार मंडलों का सी0सी0लिमिट से संबंधित समीक्षा** :– समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पैक्स/व्यापार मंडल को दिये गये निर्धारित सी0सी0लिमिट समाप्त हो जाने के कारण कुछ पैक्स/व्यापार मंडलों में अधिप्राप्ति कार्य प्रभावित है इस संबंध में दिनांक 21.12.2020 को सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग बिहार, पटना द्वारा समिक्षा के क्रम में दिये गये निदेश आलोक में निदेशित किया गया है कि जिन पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा वर्त्तमान खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में निर्गत सी0सी0 लिमिट खर्च कर ली गई है उनके अधिप्राप्ति भण्डार का भौतिक सत्यापन प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी करेंगे तथा उनका प्रमाणन जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा किये जाने के बाद सी0सी0लिमिट 40 प्रतिशत या अधिक तक बढ़ाने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी ससमय आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निदेशित किया जाता है कि जिन पैक्स/व्यापार मंडलों को सी0सी0 लिमिट के विरूद्ध अधिप्राप्ति कर ली गई है, उसकी सूची अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं कतिपय सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि पैक्स/व्यापार मंडलों के अध्यक्षों द्वारा किसानों से धान क्रय नहीं की जा रही है। किसानों को बताया जाता है कि धान की क्वॉलिटी खराब है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी रोस्टर तैयार कर किसानों की धान की क्वॉलिटी एवं नमी की जाँच नियमित रूप से करेंगे, तथा इच्छुक किसानों का धान पैक्स/व्यापार मंडलों में अपने देख–रेख में धान अधिप्राप्ति कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसानों का अधिक से अधिक धान का क्रय किया जा सके।

(अनु0 :– जिला सहकारिता पदाधिकारी)

7. **राइस मिलों का ऑनलाईन निबंधन से संबंधित समीक्षा** :– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रतिवेदित तिथि तक मात्र 39 मिलों का ऑनलाईन निबंधन किया गया है। ज्ञापांक 1426/ दिनांक 30.12.2020 द्वारा मेसर्स शिवशंकर राईस मिल, प्रो0 धनंजय ओझा, पिता–श्री भरत ओझा, ग्राम–चिलबिला, थाना–इटाढी, जिला–बक्सर द्वारा खरीफ अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12 में मे0 मॉ दुर्गा राईस मिल, बिझौरा इटाढी पर 98,78,907.00 रू0 (अन्ठानबे लाख अठहत्तर हजार नौ सौ सात रूपये) मात्र का गबन के आरोप में इटाढ़ी थाना कांड संख्या 95/15 में प्राथमिकी दर्ज की गई है, एवं उक्त मिल द्वारा बकाया सी0एम0आर0 के विरूद्ध प्रतिवेदित तिथि तक राशि जमा नहीं किया गया है। निगम मुख्यालय पटना के प्राप्त निदेश के आलोक में Pollution NOC की फोटो कॉपी लेना है जबकि श्री धनंजय ओझा मे0 शंकर राईस मिल, मंगोलपुर, इटाढी द्वारा Pollution NOC फोटो कॉपी संलग्न नही किया गया है। उनके द्वारा मात्र One line Pollution Apply प्रति संलग्न किया गया है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) निगम मुख्यालय,

पटना से दिशा निर्देश की मांग की गयी है। इस संबंध में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निदेशित किया जाता है कि दिशा निर्देश प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 :– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम)।

8. **C.M.R. से संबंधित समीक्षा** :– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल 41 लॉट प्राप्त किया गया है जिसमें 01 लॉट का भुगतान कुल 7,92,760 रू0 (सात लाख बानबे हजार सात सौ साठ रूपये) मात्र कर दिया गया है। निदेशित किया जाता है कि प्राप्त किये गये सभी सी0एम0आर0 का भुगतान विभागीय नियमानुसार ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 :– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम)।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर अधिप्राप्ति कार्य हेतु 2020–21 के प्रचार प्रसार के लिए तत्काल सभी प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालयों/अनुमण्डल कार्यालय, बक्सर/डुमरॉव, समाहरणालय एवं जिला निबंधन कार्यालय परिसर में अधिप्राप्ति से संबंधित बैनर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

AS 4/1/2021

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 04-0008 / आ0, दिनांक 4 / 1 / 2020

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वरीय उप समाहर्त्ता, धान अधिप्राप्ति, बक्सर जिला को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त बक्सर/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

AS 4/1/2021

जिला पदाधिकारी,
बक्सर